

With
CORRUPTION
everyone pays.



Your children will
become what you are,
so be what want
them to be.



**SAY NO TO
CORRUPTION**
Every
No
Counts



सतर्कता जागरुकता सप्ताह

26 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2021

सौजन्य : सतर्कता विभाग, बरेका, वाराणसी



**STAND AGAINST
CORRUPTION**

**CHANGE
YOUR MIND
BEFORE IT ERODE
YOUR SOUL**



सतर्कता जागरुकता सप्ताह

26 अक्टूबर से 01 नवम्बर 2021

सौजन्य : सतर्कता विभाग, बरेका, वाराणसी

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण
संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)



क्या आपके आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है? लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत शिकायत दर्ज करें।

आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021- एक पहल

लिखित में शिकायत यहाँ भेजें :
सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए
नई दिल्ली- 110023

(लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखें। शिकायतें, केंद्र सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संघ शासित प्रदेशों इत्यादि के कर्मचारियों के
विरुद्ध ही होनी चाहिए)

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण शिकायतें: क्या हैं ? आप कब कर सकते हैं ?

1

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों को "पीआईडीपीआई" शिकायतें कहा जाता है।

2

यदि कोई शिकायत पीआईडीपीआई के अंतर्गत दर्ज की जाती है, तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

3

शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए।

4

केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संघ शासित प्रदेशों सहित) के विरुद्ध की गई शिकायतों ही पर संज्ञान लिया जाएगा।

5

अधिक जानकारी के लिए
<http://www.cvc.gov.in> देखें।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021
एक पहल

